रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239224
CG-DL-E-29092022-239224

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4396] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
No. 4396] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4586(अ)—केन्द्रीय सरकार नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

अधिनियम की अनुसूची में, क्र.सं.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“क्र.सं.	मद	मानक और मानदंड
1क.	दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या (क) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक	 प्रत्येक नामांकित दस दिव्यांग **विद्यार्थियों** के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक

	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक	प्रत्येक नामांकित पंद्रह दिव्यांग **विद्यार्थियों** के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक टिप्पण 1: एक स्कूल और एक (न्यूनतम) विशेष शिक्षा शिक्षक मानदंड यथावत हैं। टिप्पण 2 : उपरोक्त विनिर्दिष्ट **विद्यार्थियों** शिक्षक अनुपात के अनुसार विशेष परिस्थितियों के अधीन स्कूलों के क्लस्टर में भ्रमणकारी विशेष शिक्षा शिक्षक का तदर्थ अथवा विशेष उपबंध किया जा सकता है यदि- (i) विशेष शिक्षा शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। (ii) **विद्यालय** केवल एक सामान्य शिक्षा शिक्षक वाला एकल शिक्षक **विद्यालय** है। ऐसा आवंटन निम्नलिखित परिस्थितियों के साथ किया जा सकता है - (i) चार स्कूलों से अनधिक; और (ii) किन्हीं दो आवंटित स्कूलों के मध्य की दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि विशेष शिक्षा शिक्षक को प्रत्येक स्कूल स्तर पर आवश्यक कार्यकलाप प्रदान करने हेतु अपेक्षित समय मिल सके। टिप्पण 3: टिप्पण 2 के अधीन आने वाली स्कूलों की संख्या और दूरी की शर्त तब तक यथावत रहेगी जब तक छात्र शिक्षक अनुपात का न्यूनतम पचास प्रतिशत बनाये रखा हुआ है और विशेष शिक्षा शिक्षक और स्कूल अपेक्षित छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक दिव्यांग छात्रों को कक्षाओं में लाने का प्रयास करें। यदि छात्र शिक्षक अनुपात के न्यूनतम पचास प्रतिशत को प्राप्त नहीं किया जाता है, तो निकट के स्कूलों को एक एक करके शामिल किया जाएगा ".

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 9-26/2022-आईएस.18/आईएस-3]

विपिन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4586(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby makes the following amendment to the Schedule to the said Act, namely:-

In the Schedule to the Act, after Sl. No. 1 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

"Sl. No.	Item	Norms and Standards
1A.	Number of Special Education Teachers for children with special needs (a) For first class to fifth class (b) For sixth class to eighth class	 One Special Education Teacher for every ten pupils with disabilities enrolled One Special Education Teacher for every fifteen pupils with disabilities enrolled **Note 1**: One school and one (minimum) special education teacher norms remains intact. **Note 2**: Adhoc or special provision of Itinerant Special Education Teacher under special circumstances as per the Pupil Teacher Ratio specified above may be done in cluster of schools in case of - (i) adequate number of special education teachers are not available, (ii) school is a single teacher school having only one general education teacher. This may be done with the conditions that the allotment of,- (i) not more than four schools; and (ii) distance between any two allotted schools should not be more than five kilometers so that Special Education Teacher gets the required time to provide necessary interventions at each school level. **Note 3:** The condition of number of schools and distance covered under Note 2 shall remain intact till minimum of fifty per cent. of the Pupil Teacher Ratio is maintained and, the Special Education Teacher and schools make effort to bring more students with disabilities to classrooms to maintain required Pupil Teacher Ratio. In case the minimum fifty per cent. of Pupil Teacher Ratio is not achieved, one by one nearby schools shall be added".

2. This notification shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

[F. No. 9-26/2022-IS.18/IS-3]
VIPIN KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.29 22:10:45 +05'30'